न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 193/2019

अनवान : –

1. प्रिंस नाबालिग पुत्र जितेन्द्र जरिये माता शर्मिला पत्नी जितेन्द्र जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. धर्मसिंह उर्फ धरमचन्द पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
2. महेन्द्र पुत्र धर्मसिंह जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
3. सुरेन्द्र पुत्र धर्मसिंह जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
4. जितेन्द्र पुत्र धर्मसिंह जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
5. यशोधा पुत्री धर्मसिंह उर्फ धरमचन्द जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
6. उप पंजीयक रामगढ़/खुईया।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– 1. श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
2. श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक:** 28/08/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 53, 188 के तहत इस आशय का पेश किया की दादालाई भूमि से अर्जित पैतृक कृषि भूमि रोही मौजा 22 डीपीएन तहसील नोहर की जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 62/56 के कुल किता 41 का कुल क्षेत्रफल 9.1080 है0 में से 1/6 हिस्सा यानी 1.518 है० भूमि व खाता संख्या 17/17 के कुल खसरा 7 का कुल क्षेत्रफल 1.5180 है0 में से 1/12 हिस्सा यानी 0.126 है० व रोही मौजा 7 आरएमजी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 19/12 कुल किता 40 का कुल क्षेत्रफल 9.3730 है० का 1/24 हिस्सा यानी 0.39054 है० व रोही मोजा दीपलाना बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 9/9 के कुल खसरा 2 का कुल क्षेत्रफल 8.6650 है0 का 1/48 हिस्सा यानी 0.18052 है० व रोही मौजा 23 डीपीएन के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 64/65 के कुल किता 17 का कुल क्षेत्रफल ...50 है० का 1/6 हिस्सा यानी 0.658 है० तथा रोही मौजा सुरजनसर के ... 2074 के खाता संख्या 74/66 के कुल खसरा 1 का कुल क्षेत्रफल 9.... है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.08.29 11:29:03 IST
Reason: SelfAttested

उक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण की दादालाई भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है प्रतिवादीया स0 5 जो की वादी की बुआ है ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है प्रतिवादी स0 1 संयुक्त भूमि का नाजायज फायदा उठाकर बिना किसी जायज जरूरत के समस्त भूमि अजनबी केतागणों को बैय करने की योजना बना रहा है जिससे वादी को अपूर्णीय क्षति होगी। वाद भूमि पैतृक भूमि है इसलिए घोषणा की जावे की रोही मौजा 22 डीपीएन तहसील नोहर की जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 62/56 के कुल किता 41 का कुल क्षेत्रफल 9.1080 है० में से 1/6 हिस्सा यानी 1.518 है0 भूमि व खाता संख्या 17/17 के कुल खसरा 7 का कुल क्षेत्रफल 1.5180 है0 में से 1/12 हिस्सा यानी 0.126 है० व रोही मौजा 7 आरएमजी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 19/12 कुल किता 40 का कुल क्षेत्रफल 9.3730 है0 का 1/24 हिस्सा यानी 0.39054 है० व रोही मोजा दीपलाना बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 9/9 के कुल खसरा 2 का कुल क्षेत्रफल 8.6650 है० का 1/48 हिस्सा यानी 0.18052 है० व रोही मौजा 23 डीपीएन के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 64/65 के कुल किता 17 का कुल क्षेत्रफल 3.9480 है० का 1/6 हिस्सा यानी 0.658 है० तथा रोही मौजा सुरजनसर के जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 74/66 के कुल खसरा 1 का कुल क्षेत्रफल 9.7410 है0 भूमि में में वादी का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/8 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का संयुक्त रूप से 3/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे।

वादी ने प्रतिवादीगण को काफी मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो प्रतिवादीगण कुछ दिन आजकल करते रहे आखिर इन्कार हो गये इसिलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वाद वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाकर वादी को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।

दावा पेश होने दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा इस आशय का पेश किया की प्रतिवादी स0 1 के जीवन काल मे वादी का कोई हक हिस्सा नही है प्रतिवादी स0 1 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जब तक प्रतिवादी स0 4 का विवादित भूमि में हक हिस्सा तय नही होता है तब तक वादी किसी प्रकार की घोषणा करवा पाने का अधिकारी नही है रोही मौजा सुरजनसर तहसील नोहर के ख0न0 426/4 की 9.7410 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 की स्वयं की अर्जित भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादी स0 2 ता 5 का प्रतिवादी स0 1 के जीवन काल में कोई हक हिस्सा नही है। वादी के नाम पहले से हक से ज्यादा 3.[illegible] इन्द्राज से जरिये दान पत्र ले रखी है इसलिए उक्त भूमि में वादी [illegible] नही है। वादी क्लीन हैण्ड न्यायालय में नही आया है एवं न [illegible] स्पष्ट होती है वादी का वाद खारिज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.08.29 11:29:03 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

प्रतिवादीया स0 5 ने जवाब दावा मय काउंटर क्लेम इस आशय का पेश किया की प्रतिवादीया स0 5 ने अपना हक हिस्सा तर्क नही किया है इसलिए ववादित भूमि चक न. 22 डी.पी.एन. तहसील नोहर जमांबन्दी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 62/56 की कुल 9.1080 हैक्टेयर भूमि में से 1/6 हिस्सा में प्रतिवादीया न. 5 का 1/5 हिस्सा एवं चक न. 22 डी.पी.एन. तहसील नोहर जमांबन्दी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 17/17 की कुल 1.5180 हैक्टेयर भूमि में से 1/12 हिस्सा में प्रतिवादीया न. 5 का 1/5 हिस्सा एवं चक न. 7 आर.एम.जी. तहसील नोहर जमांबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 19/12 की कुल 9.3730 हैक्टेयर भूमि में से 1/24 हिस्सा में प्रतिवादीया न. 5 का 1/5 हिस्सा एवं रोही मोजा दीपलाना बारानी तहसील नोहर जमांबन्दी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 9/9 की कुल 8.6650 हैक्टेयर भूमि में से 1/48 हिस्सा में प्रतिवादीया न. 5 का 1/5 हिस्सा एवं चक न. 23 डी.पी.एन. तहसील नोहर जमाबन्दी सम्वत 2072 ता 75 के खाता संख्या 64/65 की कुल 3.9480 हैक्टेयर भूमि में से 1/6 हिस्सा मे प्रतिवादीया नं. 5 का 1/5 हिस्सा एवं रोही मोजा सुरजनसर तहसील नोहर जमांबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 74/66 की कुल 9.7410 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादीया न. 5 का 1/5 हिस्सा है इसी अनुसार प्रतिवादिया न. 5 जरिये कांउन्टर कलेम अपने 1/5 हिस्सा की घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में अपने नाम अमल दरामद करवाने की अधिकारीणी है मुताबिक काउंटर क्लेम वाद डिक्री किया जावे।

प्रस्तुत वाद एवं जवाब दावा के आधार पर निम्न तनकीआत कायम की गई:–

1. **आया कि रोही मौजा चक 22 डीपीएन के खाता संख्या 62/56 की 9.1080 हैक् में से 1/6 हिस्सा यानी 1.5180हक व खाता संख्या 17/17 की कुल 1.5180हैव में से 1/12 हिस्सा यानी 0.126 हैक व राही मौजा चक 7 आरएमजी के खाता संख्या 19/12 की कुल 9.3730हैक में से 1/24 हिस्सा यानी 0.3954हक व रोही मौजा दीपलाना बारानी के खाता संख्या 9/9 की कुल 8.6650 हैक में से 1/48 हिस्सा यानी 0.18052 हैक व रोही मौजा चक 23 डीपीएन के खाता संख्या 64/65 की कुल 3.9480 हैक में से 1/6 हिस्सा यानी 0.658 हैक व रोही मौजा सुरजनसर के खाता संख्या 74/66 की कुल 9.7410 हैक् में से वादी 1/8 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 का 1/8 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 सयुक्त तौर से 3/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित करवा पाने के अधिकरी है ?**

–वादी

2. **. आया कि वादी भूमि में प्रतिवादी संख्या 4 का कितना हक हिस्सा बनता है तय होने से पूर्व वादी वाद भूमि में किसी प्रकार का हक हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है ?**

–प्रतिवादी

3. **. आया कि रोही मौजा सुरजनसर की भूमि [illegible] की स्वअर्जित भूमि है जिसमें वादी प्रतिवादी संख्या 4 के जीवनकाल में किसी [illegible] हक हिस्स प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है ।?**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.08.29 11:29:03 IST
Reason: SelfAttested

–प्रतिवादी

Rahul

4. . आया कि प्रतिवादी संख्या 4 वाद भूमि का रिकार्डेड खातेदर काश्तकार है जिसे किसी भी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवा पाने के अधिकारी नही है?

—प्रतिवादी

5. . आया कि वाद भूमि में में काउन्टर क्लेम की मद संख्या 10 में दर्ज हक हिस्सा के अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है

—प्रतिवादी

6. . दादरसी

वादीगण ने तनकीआत के समर्थन में प्रमाणित प्रति जमाबंदी सम्वत 2071–74 खाता स0 53/56 रोही मौजा 22 डीपीएन ईएक्सपी–1, प्रमाणित प्रति जमाबंदी सम्वत 2071–74 खाता स0 17/17 रोही मौजा 22 डीपीएन ईएक्सपी–2, जमाबंदी सम्वत 2073–76 खाता स0 19/12 रोही मौजा 7 आरएमजी ईएक्सपी–3, जमाबंदी सम्वत 2070–73 खाता स0 9/9 रोही मौजा दीपलाना ईएक्सपी–4, प्रमाणित प्रति जमाबंदी सम्वत 2072–75 खाता स0 64/65 रोही मौजा 23 डीपीएन ईएक्सपी–5, प्रमाणित प्रति जमाबंदी सम्वत 2072–75 खाता स0 74/66 रोही मौजा सुरजनसर ईएक्सपी–6, प्रमाणित प्रति पर्चाखतौनी 23 डीपीएन बहक ईन्द्राज ईएक्सपी–7, प्रमाणित प्रति पर्चाखतौनी 23 डीपीएन बहक ईन्द्राज ईएक्सपी–8, प्रमाणित प्रति प्रमाणित प्रति पर्चाखतौनी 7 आरएमजी ईएक्सपी–9, प्रमाणित प्रति प्रमाणित प्रति पर्चाखतौनी 7 आरएमजी ईएक्सपी–10, प्रमाणित प्रति पर्चाखतौनी 22 डीपीएन ईएक्सपी–11, प्रमाणित प्रति पर्चाखतौनी 23 डीपीएन ईएक्सपी–12, प्रमाणित प्रति जमाबंदी रोही मौजा दीपलाना बारानी सम्वत 2012–15 खाता स0 1 ईएक्सपी–13 प्रदर्शित करवायें।

प्रतिवादीगण ने तनकीआत के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नकल नामान्तरकरण स0 212 रोही मौजा सुरजनसर ईएक्सडी–1 दस्तावेज पेश किये।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने अपने तर्क की पुष्टि में माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2015(2) पेज न0 1104 ता 1109 पेश किये, जिनका हमने अध्ययन कर इन्हें मार्गदर्शी सिद्वान्त के रूप में उपयोग किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार से किया जाता है:–

<u>तनकी नम्बर 1</u> :– इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात ईएक्सपी–1 ता 5 व ईएक्सपी 7 ता 13 के मुताबिक रोही मौजा सुरजनसर की वाद भूमि के अलावा अन्य समस्त भूमि पैतृक भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। वादी का कथन है कि प्रतिवादीया संख्या 5 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के पक्ष में तर्क किया गया है एवं मुताबिक तनकी न0 1 वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे लेकिन प्रतिवादीया स0 5 द्वारा प्रस्तुत जवाब के मुताबिक प्रतिवादीया स0 5 द्वारा अपना हक हिस्सा तर्क नही होना स्वीकार किया [illegible] एवं मुताबिक काउंटर क्लेम वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया [illegible] रोही मौजा सुरजनसर की वाद भूमि दादालाई भूमि की आय से अर्जित भूमि है जबकि [illegible]तिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.08.29 11:29:03 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

ईएक्सडी–1 नामान्तरण के अनुसार प्रतिवादी स0 1 को यह भूमि अलॉट हुई है अर्थात की रोही मौजा सुरजनसर की भूमि पैतृक भूमि नही है। प्रतिवादीया द्वारा अपने हक हिस्सा तर्क नही किया गया हैं इसलिए वादी का मुताबिक अनुतोष हक हिस्सा नही होकर रोही मौजा 22 डीपीएन तहसील नोहर की जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 62/56 के कुल किता 41 का कुल क्षेत्रफल 9.1080 है० में से 1/6 हिस्सा यानी 1.518 है0 भूमि व खाता संख्या 17/17 के कुल खसरा 7 का कुल क्षेत्रफल 1.5180 है0 में से 1/12 हिस्सा यानी 0.126 है० व रोही मौजा 7 आरएमजी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 19/12 कुल किता 40 का कुल क्षेत्रफल 9.3730 है0 का 1/24 हिस्सा यानी 0.39054 है० व रोही मोजा दीपलाना बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 9/9 के कुल खसरा 2 का कुल क्षेत्रफल 8.6650 है० का 1/48 हिस्सा यानी 0.18052 है० व रोही मौजा 23 डीपीएन के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 64/65 के कुल किता 17 का कुल क्षेत्रफल 3.9480 है० का 1/6 हिस्सा यानी 0.658 है० भूमि में वादी का 1/ 10 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व 5 प्रत्येक का 1/10 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या प्रतिवादी स0 4 का 1/10 हिस्सा बनता है एवं रोही मौजा सुरजसर की भूमि प्रतिवादीगण की स्वयं अर्जित भूमि होने के कारण उक्त भूमि मे प्रतिवादी स0 1 के जीवनकाल में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 अपने हकों की घोषणा करवा पाने के अधिकारी नही है। बहस में अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा कथन किया गया है कि वादी को जरिये दानपत्र चिड़िया पुत्री ईन्द्राज द्वारा 1.10 बीघा भूमि पूर्व में दी जा चुकी है उक्त भूमि में वादी हक हिस्सा ले पाने का अधिकारी नही है जबकि वादी के नाम दर्ज उक्त भूमि जरिये दानपत्र दर्ज नही हुई है कोई भी खातेदार अपने नाम भूमि को दानपत्र करने के लिए स्वतंत्र है उक्त दानपत्र के कारण वादी के हक व अधिकार खत्म नही होते है। इसलिए वादी रोही मौजा सुरजनसर की अलावा अन्य भूमि में अपना हक हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। इस प्रकार वादी तनकी न0 1 को वादी आंशिक साबित करने में सफल रहा है इसलिए तनकी न0 1 का निर्णय आंशिक किया जाता है।

<u>तनकी नम्बर 2</u> :– इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों के मुताबिक उक्त भूमि रोह मौजा सुरजनसर की वाद भूमि के अलावा प्रतिवादी स0 1 के नाम विरासतन दर्ज हुई है अर्थात भूमि पैतृक भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है एवं वादी प्रतिवादीगण संख्या 4 के जीवनकाल मे भी हक प्राप्त करने का अधिकारी है इसलिए उक्त तनकी प्रतिवादी साबित करने में असफल रहे है इसलिए तनकी न0 2 का निर्णय बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी किया जाता है।

<u>तनकी नम्बर 3</u> :– इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था। उक्त तनकी, तनकी न0 1 पर आधारित है जिसका विस्तृत निर्णय किया जा चुका है एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार रोही मौजा सुरजनसर की भूमि प्रतिवादी स0 1 की स्वयं अर्जित भूमि है। रोही मौजा सुरजनसर की भूमि प्रतिवादी स0 1 की स्वयं अर्जित भूमि होने के कारण प्रतिवादी स0 1 के जीवनकाल में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 अपने हकों की घोषणा करवा पाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.08.29 11:29:03 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

के अधिकारी नही है। इस तनकी को प्रतिवादी स0 1 साबित करने में सफल रहे है अतः इस तनकी का निर्णय भी बहक प्रतिवादी स0 1 व खिलाफ वादी किया जाता है।

तनकी नम्बर 4 :– यह तनकी, तनकी न0 1 पर आधारित्त है। जिसका निर्णय हो चुका है तथा निर्णयनुसार वादी रोही मौजा सुरजनसर की वाद भूमि के अलावा प्रतिवादीगण के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करा पाने के अधिकारी है। इसी अनुसार तनकी का निर्णय किया जाता हैं।

तनकी नम्बर 5 :– यह तनकी, तनकी न0 1 व 3 पर आधारित है जिनका निर्णय किया जा चुका हैं रोही मौजा सुरजनसर के वाद भूमि के अलावा अन्य वाद भूमि में प्रतिवादी स0 5 मुताबिक काउंटर क्लेम अपना हक हिस्सा पाने की अधिकारी है क्योकि सुरजनसर की वाद भूमि के अलावा अन्य भूमि पैतृक है एव प्रतिवादीया स0 5, प्रतिवादी स0 1 की हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम की तहत वारिस है एवं अपना हक हिस्सा अपने नाम दर्ज करवा पाने की अधिकारी है। उक्त तनकी को प्रतिवादी स0 5 आंशिक साबित करने में सफल रही है।

दादरसी। समस्त तनकीआत का निर्णय हो चुका है। अतः वाद वादी आंशिक साबित होने के कारण आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 22 डीपीएन तहसील नोहर की जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 62/56 के कुल किता 41 का कुल क्षेत्रफल 9.1080 है० में से 1/6 हिस्सा यानी 1.518 है0 भूमि व खाता संख्या 17/17 के कुल खसरा 7 का कुल क्षेत्रफल 1.5180 है0 में से 1/12 हिस्सा यानी 0.126 है० व रोही मौजा 7 आरएमजी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 19/12 कुल किता 40 का कुल क्षेत्रफल 9.3730 है0 का 1/24 हिस्सा यानी 0.39054 है० व रोही मौजा दीपलाना बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 9/9 के कुल खसरा 2 का कुल क्षेत्रफल 8.6650 है० का 1/48 हिस्सा यानी 0.18052 है० व रोही मौजा 23 डीपीएन के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 64/65 के कुल किता 17 का कुल क्षेत्रफल 3.9480 है० का 1/6 हिस्सा यानी 0.658 है० भूमि में वादी वादी व प्रतिवादी स0 4 प्रत्येक को 1/10 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व 5 प्रत्येक को 1/5 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जात है। यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। पर्चा डिक्री जारी कर संलग्न की जावें। व्यय वाद उभयपक्ष वादीगण/प्रतिवादीगण स्वयं अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक ....28/08/25.... को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.08.29 11:29:03 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 193/2019

अनवान : –

1. प्रिंस नाबालिग पुत्र जितेन्द्र जरिये माता शर्मिला पत्नी जितेन्द्र जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. धर्मसिंह उर्फ धरमचन्द पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
2. महेन्द्र पुत्र धर्मसिंह जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
3. सुरेन्द्र पुत्र धर्मसिंह जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
4. जितेन्द्र पुत्र धर्मसिंह जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
5. यशोधा पुत्री धर्मसिंह उर्फ धरमचन्द जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
6. उप पंजीयक रामगढ/खुंईया।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 193 सन 2019 निर्णय दिनांक 28/08/25

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री मांगेराम गोदारा की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों के आधार पर आंशिक साबित होने के कारण वाद वादी आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 22 डीपीएन तहसील नोहर की जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 62/56 के कुल किता 41 का कुल क्षेत्रफल 9.1080 है० में से 1/6 हिस्सा यानी 1.518 है0 भूमि व खाता संख्या 17/17 के कुल खसरा 7 का कुल क्षेत्रफल 1.5180 है0 में से 1/12 हिस्सा यानी 0.126 है० व रोही मौजा 7 आरएमजी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 19/12 कुल किता 40 का कुल क्षेत्रफल 9.3730 है0 का 1/24 हिस्सा यानी 0.39054 है० व रोही मोजा दीपलाना बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 9/9 के कुल खसरा 2 का कुल क्षेत्रफल 8.6650 है० का 1/48 हिस्सा यानी 0.18052 है० व रोही मौजा 23 डीपीएन के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 64/65 के कुल किता 17 का कुल क्षेत्रफल 3.9480 है० का 1/6 हिस्सा यानी 0.658 है० भूमि में वादी वादी व प्रतिवादी स0 4 प्रत्येक को 1/10 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व 5 प्रत्येक को 1/5 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जात हैं। यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 28/08/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.08.29 11:29:03 IST
Reason: SelfAttested